प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 28.08.2025

साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु कमिश्नरेट पुलिस द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदम

जैसा कि आप सभी अवगत है वर्तमान परिवेश में साइबर अपराध पुलिस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। वर्ष 2025 में माह जुलाई तक कमिश्नरेट गाजियाबाद के थानों पर साइबर फ्रॉड के 566 एफ.आई.आर. पंजीकृत की गयी हैं। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में लगभग 11 हजार शिकायतें एन.सी.आर.पी. पोर्टल पर प्राप्त हुई है। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की 10 प्रमुख प्राथमिकताये निर्धारित की गयी है, जिसमें **"साइबर अपराध"** का मुकाबला करना एक शीर्ष प्राथमिकता है। ऐसी परिस्थिति में कमिश्नरेट गाजियाबाद में साइबर अपराध की चुनौती का सामना करने के लिए एक मजबूत प्रशिक्षित सिस्टम स्थापित किये जाने के उद्धेश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं-

- साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर 05 लाख रू0 से अधिक के साइबर फ्रॉड के प्रकरण में ही अभियोग पंजीकृत करने की **बाध्यता को समाप्त** कर दिया गया है। साइबर अपराध के पीडित 05 लाख रू0 से कम के साइबर फ्रॉड के प्रकरण भी अपनी सुविधानुसार स्थानीय थाने अथवा साइबर थाने पर पंजीकृत करा सकते हैं।
- थाना साइबर क्राइम व थानों की साइबर सेल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के आधार पर साइबर थाने व साइबर सेल का नियतन पुर्ननिर्धारित किया गया है। वर्तमान में **192** पुलिस कर्मी साइबर थाने व साइबर सेल में नियुक्त किये गये है, जो पूर्व में 142 थे।
- विवेचनात्मक कार्यों को प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने के उद्धेश्य से थाना साइबर क्राइम पर 12 अतिरिक्त निरीक्षक एवं 21 उ0नि0 नियुक्त किये गये है। इसके अतिरिक्त थाना साइबर क्राइम के आधारभूत ढांचे व उपलब्ध संसाधनों में भी उन्नयन किया गया है।
- थाना साइबर क्राइम व थाना साइबर सेल में नियुक्त पुलिस कर्मियों के लिए साइट्रेन पर समयबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम नियत किया गया है। अब तक थाना साइबर क्राइम व थाना साइबर सेल में नियुक्त प्रत्येक पुलिस कर्मी के लिए Responder Track का प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा चुका है।
- साइबर क्राइम के प्रकरणों के निकट पर्यवेक्षण हेतु सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली, मसूरी व इन्दिरापुरम को क्रमशः नगर जोन, ग्रामीण जोन, व ट्रांसहिण्डन जोन में सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- **अगस्त 2025 तक थाना साइबर क्राइम व साइबर सेल द्वारा संयुक्त रूप से 35 करोड से अधिक धनराशि साइबर फ्रॉड के पीडितों को Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), बैंक व माननीय न्यायालय के साथ समन्वय स्थापित कर वापस करायी जा चुकी है।**

- **साइबर फ्रॉड में 12500 से अधिक मोबाइल नम्बर ब्लाक कराये गये है। इसके अतिरिक्त साइबर ठगी में संलिप्त 170 मोबाइल ऐप व 21 वेबसाइट को भी ब्लाक कराया गया है। इसके अतिरिक्त 105 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी भी विगत 01 वर्ष में की गयी है।**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस आम-जनमानस से अपील करती है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कोई भी गोपनीय सूचना जैसे – ओ.टी.पी., बैंक/क्रेडिट कार्ड डिटेल आदि शेयर न करें और किसी अज्ञात नम्बर से भेजे गये किसी भी ऐप /लिंक/.APK File को डाउनलोड न करें। साइबर अपराध की किसी भी घटना पर तत्काल **1930** पर कॉल करे अथवा cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.08.2025 को वादी द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष घर से बिना बताये कहीं चली गयी है, वादी को शक है कि दीपक नाम का व्यक्ति व काजल नाम की महिला बहला-फुसलाकर ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात पीडिता को बरामद किया गया एवं पीडिता का मेडीकल व धारा 180/183 बीएनएसएस के बयान दर्ज कराये गये जिसके आधार पर यह पाया गया कि दीपक नाम के किसी व्यक्ति का इस घटना में शामिल होना नही पाया गया, बल्कि जांच में अभियुक्त विकास पुत्र जयवीर निवासी गांव अहमदपुर थाना पिलखुआ हापुड का नाम प्रकाश में आया तथा अपहृता को बहला फुसलाकर ले जाने में काजल नाम की महिला का भी होना पाया गया। उपरोक्त अभियोग में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 28.08.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विकास पुत्र जयवीर निवासी नया गांव अहमदपुर थाना पिलखुआ हापुड हाल पता किराये का मकान शिवगढी हापुड उम्र 24 वर्ष को ताज हाईवे तिगरी गोल चक्कर के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी पीडिता से जान पहचान करीब डेढ माह पूर्व काजल नाम की महिला जो पिलखुआ में रहती है ने करायी थी फिर मैं व पीडिता एक दूसरे से फोन पर बाते करने लगे जिसका फायदा उठाकर मैं पीडिता को काजल की मदद से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

विकास पुत्र जयवीर निवासी नया गांव अहमदपुर थाना पिलखुआ हापुड हाल पता किराये का मकान शिवगढी हापुड उम्र 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.05.2025 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त जैद द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला-फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता तलाश व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

दिनांक 27.08.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जैद पुत्र अख्तर निवासी उस्मान कालोनी डासना थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी वादी की पुत्री से बातचीत थी। एक दिन मैं वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जैद पुत्र अख्तर निवासी उस्मान कालोनी डासना थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 312 बोर व जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 27.08.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा रात्रिकालीन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र कस्बा के लोनी रेलवे स्टेशन से अवैध देशी तमंचा 312 बोर व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त आदिल पुत्र इकबाल निवासी सितारा मस्जिद वाली गली मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध तमंचा लोगों में रौब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ। मैं यह तमंचा लेकर घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदिल पुत्र इकबाल निवासी सितारा मस्जिद वाली गली मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 312 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त आदिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

आज दिनांक 28.08.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र फरीदनगर के ग्राम अमराला अंडरपास के पास से अवैध देशी तमंचा 315 बोर के साथ अभियुक्त शहजाद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध तमंचा लोगों में रौब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ। आज मैं यह तमंचा लेकर घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शहजाद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त शहजाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 28.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त प्रशांत चौटाला द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर, वादिया के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल धारा- 69/123 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रशांत चौटाला उर्फ बिन्नी पुत्र स्व0 अशोक कुमार चौटाला निवासी रतिराम कॉलोनी बेहटा हाजीपुर लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को लोनी बस डिपो लोनी बोर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पीड़िता से जान पहचान व बातचीत शुरू हो गई थी। मौका पाकर मैंने पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। मैं उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रशांत चौटाला उर्फ बिन्नी पुत्र स्व0 अशोक कुमार चौटाला निवासी रतिराम कॉलोनी बेहटा हाजीपुर लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पुलिस बल को सशक्त एवं उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल जिसमे "कवच" की टीम के द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों (महिला एवं पुरुष) को सेल्फ डिफेन्स में प्रशिक्षित करने हेतु दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा पुलिस बल की सुरक्षा और कार्यक्षमता को बढ़ाने हेतु एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। जिसमें पुलिस बल की कार्यक्षमता को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल शुरू की गई है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस आयुक्त/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में श्रीमती प्रियाश्री पाल, सहायक पुलिस आयुक्त, वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पहल के तहत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों (महिला एवं पुरुष) को सेल्फ डिफेंस का दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में कुल 200 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। जिसमें दिनांक 28.08.2025 को महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण एवं दिनांक 29.08.2025 को पुरुष अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

- कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून व्यवस्था एवं श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी पुलिस उपायुक्त ग्रामीण द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
- उक्त प्रशिक्षण में श्रीमती पूनम मिश्रा अपर पुलिस उपायुक्त नंदग्राम, श्रीमती सलोनी अग्रवाल सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध, श्रीमती उपासना पाण्डेय सहायक पुलिस आयुक्त सुरक्षा/हिण्डन एयरपोर्ट सुरक्षा तथा विभिन्न थानों पर नियुक्त महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को आपातकालीन परिस्थितियों में स्वयं को मजबूत बनाना तथा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकों, आत्मरक्षा के कौशल, और तनाव मुक्त माहौल में कार्य करने जैसे विषय शामिल किए गए हैं। यह प्रशिक्षण पुलिस बल की कार्यकुशलता को बढ़ाने के साथ-साथ जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और प्रभावी ढंग से निभाने में सहायक होगा।
- उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था "कवच" के संस्थापक/मुख्य प्रशिक्षक श्री वरुण रावत एवं दिव्या पंवार सह-संस्थापक/लीड इंस्ट्रक्टर तथा टीम के अन्य 05 सदस्यों द्वारा उक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- "कवच" टैक्टिकल कॉम्बैट सिस्टम इंडिया के प्रमुख संस्थानो में से एक है जो हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट और स्ट्रीट सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग फॉर पुलिस के लिए विख्यात है।
- कवच ने 10 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ भारतीय सेना इकाईयों,कमाण्डो प्रशिक्षण केंद्रो, सीआईएसएफ,उत्तराखण्ड पुलिस,हरियाणा पुलिस,रेलवे संचालन कमाण्डो के साथ अपनी प्रशिक्षण विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है।
- वर्दी में प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ कवच वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने और नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए जागरुकता,आत्मविश्वास और व्यावहारिक कौशल दिलाने में अग्रणी रहा है।

पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में पुलिस बल को आत्म रक्षा में कुशल बनाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन निरन्तर जारी रहेगा। यह कदम न केवल पुलिस कर्मियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि समाज में सुरक्षा के प्रति एक सकारात्मक संदेश भी पहुँचाता है।

प्रतिभागियों ने भी इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्हें दैनिक जीवन में सर्तक रहने के तरीकों की जानकारी प्राप्त हुई है तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों में निरन्तर भाग लेने की इच्छा व्यक्त की गई है।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा घर में घुस कर जान से मारने की नीयत से लाठी, डण्डे आदि से मारपीट करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 25.08.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी सुरेन्द पुत्र महेन्द्र निवासी प्लॉट सं0 365 हसनपुर भौवपुर कौशाम्बी गजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि 1.पिन्टू, 2. रितिक, 3. जनग, 4. मुकेश, 5. गोविन्द, 6. आरती, 7. काजल, 8. ईषा व 40 से 50 अन्य लोगों द्वारा लाठी, डण्डे आदि लेकर वादी के किरायेदार ताहिर, ममता व रमा के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला, मारपीट करना तथा घर में घुस कर टीवी, फ्रिज, सीसीटीवी, वर्तन, गैस सिलेण्डर, कुर्सी तथा मारपीट में किरायेदार रमा का हाथ तोड़ देने के सम्बन्ध में धारा 191(2),191(3),190,333,115(2),109(1),117(2),305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए दिनांक 27.08.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में नामजद 01 अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र रामपाल सिंह निवासी मौ0 सुदामापुरी थाना मोदीनगर उम्र करीब 47 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा आज दिनांक 28.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियोग में नामजद अभियुक्त पिन्टू पुत्र स्व0 प्रकाश राज निवासी म0न0- 433 गांव भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को आनंद विहार बार्डर खंडहर बिल्डिग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पिन्टू उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त पिन्टू पुत्र स्व0 प्रकाश राज उपरोक्त ने से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दिनांक 25.08.2025 को अभियुक्त उपरोक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जयभीम के नारे लगाते हुए वादी के घर में घुसकर वादी के किरायेदार के साथ लाठी, डण्डे आदि से मारपीट की और घर में रखे हुए सामान की तोड़फोड़ की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पिन्टू पुत्र स्व0 प्रकाश राज निवासी म0न0- 433 गांव भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर मारपीट,बल्वा के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

सड़क सुरक्षा हेतु यातायात पुलिस का स्कूल/कॉलेज स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, कमिश्नरेट गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन विशेषकर स्कूली छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में जाकर स्कूली छात्र-छात्राओं एवं स्कूल स्टॉफ को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गयी, तथा यातायात नियमों का पालन किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत माह अगस्त में अभी तक इंग्राहम इंस्टिट्यूट-जी.टी. रोड, इंग्राहम इंस्टिट्यूट- हापुड़ रोड, डीएवी पब्लिक स्कूल, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, कैलाशवती इंटर कॉलेज, नगर निगम गर्ल्स इंटर कॉलेज आदि विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सभी स्कूलों में यातायात पुलिस द्वारा लगभग 11,700 छात्र/छात्राओं एवं स्टॉफ को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई।

छात्र/छात्राओं को सड़क पार करते समय सावधानी बरतने, हेलमेट/सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, तेज रफ्तार एवं लापरवाही से वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया गया। साथ ही, उन्हें 'गुड समेरिटन' (सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले सज्जन नागरिक को शासन द्वारा 25,000 पुरुष्कार के रूप में प्रदान किये जाने) की भूमिका एवं अधिकारों से भी अवगत कराया गया।

इस अभियान का उद्देश्य न केवल भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों को तैयार करना है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में यथासंभव कमी लाना एवं यातायात नियमों के प्रति शत-प्रतिशत जागरूकता सुनिश्चित करना है।

यह अभियान आगामी दिनों में भी नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि गाजियाबाद में एक सुरक्षित एवं सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

सुरक्षित रहें - सुरक्षित चलें

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि/बीमा लोकपाल बनकर, कॉल कर बीमा पॉलिसी में अधिक मुनाफा कमाने/Matured Policy के पैसों से बिटकॉइन खरीदने, ऑनलाइन टास्क फ्रॉड एवं ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का सदस्य अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद ।

श्री महीपाल बिष्ट निवासी इन्द्रापुरम गाजियाबाद के साथ मोबाइल फोन के माध्यम से कॉल कर Matured Insurance Policy के पैसों से बिटकॉइन खरीदने के नाम पर करीब 36 लाख रुपये के साइबर फ्राड की घटना के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के सदस्य विकास कुमार, रवि प्रताप, नवीन प्रताप सिंह, अनुज, गुंजन को दिनांक 09.07.2025 को गिरफ्तार किया गया था। इस गैंग के सदस्य सोनू कुमार, मनोज कुमार, अमन कुमार की तलाश की जा रही थी।

इस गैंग के द्वारा फोन पर विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि/बीमा लोकपाल के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी में अधिक मुनाफा कमाने/Matured Policy के पैसों से बिटकॉइन खरीदने, ऑनलाइन टास्क कम्पलीट कर पैसे कमाने एवं ऑनलाइन होटल बुकिंग के लिये अपने खातों में पैसे ट्रांसफर कराकर साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जाता था।

इस गैंग के सदस्य अभियुक्त सोनू कुमार उर्फ सूखा को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ आज दिनांक 28.08.2025 को थाना क्षेत्र विजय नगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त सोनू कुमार उर्फ सूखा ने पूछने पर बताया कि इस गैंग के सदस्य रवि प्रताप, नवीन प्रताप से मेरी मुलाकात वर्ष 2023 में हुई थी। रवि प्रताप व नवीन प्रताप इटावा के रहने वाले हैं, जो गाजियाबाद में आकर रहने लगे। रवि प्रताप व नवीन प्रताप ने 10 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर उससे बैंक खाते की डिटेल साइबर फ्रॉड के पैसे ट्रांसफर कराने के लिये पर ले लिया। उसने रवि प्रताप व नवीन प्रताप के सहयोग से अपने तीन बैंक खाते खुलवाये थे और इन खातों उसका मोबाइल नम्बर लिंक कराया। इन खातों की चेकबुक, एटीएम तथा लिंक मोबाइल नम्बर उससे ले लिया था। रवि प्रताप व नवीन प्रताप ने उसके खाते में फ्रॉड के पैसे डलवाये और उसे उसके कमीशन के रुपये दिये थे। रवि प्रताप व नवीन प्रताप के जेल जाने की जानकारी मिलने के बाद उसने पकड़े जाने के डर से अपना मोबाइल तोड़कर फेंक दिया था।

उल्लेखनीय है कि इस गैंग के द्वारा तेलंगाना, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में 3 साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। । जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद निवासी महीपाल बिष्ट के साथ Matured Policy के पैसों से बिटकाइन खरीदने के नाम पर करीब 36 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लेने की ठगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त सोनू कुमार उर्फ सूखा के तीन बैंक खाते में उपरोक्त घटना के कुल 22 लाख रुपये प्राप्त किये गये थे। अभियुक्त सोनू कुमार उर्फ सूखा फिरौती के एक मामले में जनपद इटावा से जेल जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

सोनू कुमार उर्फ सूखा पुत्र राजू कुमार निवासी- बगीया अड्डा कुकपुरा थाना फ्रैन्डस कालोनी जनपद इटावा उम्र 24, शिक्षा – 10 वीं।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।